कार्यालय महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड

<u> पत्रांक</u> **10587**/म0नि0नि0/2024-25

देहरादूनः दिनांकः **15**, अगस्त, 2024 अधिसूचना

महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड राज्य में यथापृवत्त एवं यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के पत्र संख्या 231394 / ई–46901 / XXVII(9) / 1–स्टाम्प / 2023 / 2024 दिनांक 07, अगस्त, 2024 के द्वारा प्रदत्त अनुमति से, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन आवश्यक है सपठित छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 354 की उपधारा 2 के तहत छावनी क्षेत्रों में संपत्तियों के पंजीकरण के क्रम में अधिसूचना प्रख्यापित करते हैं; कि,

छावनी क्षेत्रों में स्थित रक्षा भू–संपत्तियो के क्रय⁄विक्रय के पंजीकरण हेतु रक्षा सम्पदा अधिकारी अथवा मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं उक्त पंजीकरण विषयक सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Signed by Ahmed lqbal Date: 15-08-2024 17:00:31 (डॉ0 अहमद इकबाल) महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादुन

पत्रांकः संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं, उत्तराखण्ड।
- 3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4. उप महानिरीक्षक निबंधन, कुमाउ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 5. जिला निबंधक / सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।
- 6. उप निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 50–50 प्रतियाँ कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन को उपलब्ध करा दें।
- 7. गार्ड फाईल।

Signed by Atul Kumar Sharma Date: 16-08-2024 10:31:21

(अतुल कुमार शर्मा) सहायक महानिरीक्षक निबंधन, मुख्यालय, देहरादून In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No**105897**/म0नि0नि0/2024-25 dated, August, 2024 for general information.

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION Dated : August, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (10) of sub-section (1) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), as adopted and amended in the State of Uttarakhand, the Inspector General, Registration, Uttarakhand, with the permission granted by State Government vide letter No. 231394/E-46901/XXVII(9)/1-Stamp/ 2023/2024 dated 07th August, 2024, as required under subsection (2) of section 69 of the said Act read with sub-section 2 of section 354 of the Cantonment Act, 2006, hereby promulgates the notification in order to registration of properties in cantonment areas;

For registration of purchase/sale of defense land properties situated in cantonment areas, it will be mandatory to obtain the No Objection Certificate (NOC) issued by Defense Estate Officer or Chief Executive Officer, Cantonment Board and provide information regarding the said registration to the same.

The said notification will come into force with immediate effect.

Signed by Ahmed lqbal Date: 15-08-2024 17:00:53 DR. AHMED IQBAL, Inspector General of Registration, Uttarakhand, Dehradun